न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
32 / 2024	15 / 10 / 2024	25 / 11 / 2025

प्रहलाद पुत्र श्री भैरूलाल, जाति–धाकड़, निवासी–गैंता, तह०–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज०

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार, तह० पीपल्दा, जिला–कोटा, राज०

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री पृथ्वीराज वैष्णव एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम–गैंता, तह०–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज० में ख0न0 1783 / 584 रकबा–0.38 हे0 स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि कार्यों व अन्य कृषि विकास कार्यों के लिए कोई वैकल्पिक साधन व रास्ते का अभाव है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण व अन्य आसपास के किसानो के खातेदारी की भूमि पर से होकर निकलना पड़ता है, किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने खेत के लिए आने जाने व कृषि यंत्रों को निकालने से रोकते है और बाधाये उत्पन्न करते है, प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख0न0–1783 / 584 रकबा 0.38 हे0 पर आने जाने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि ग्राम–गैंता, तह०–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज० ख०न0 579 रकबा 1.69 हे0. पर से ही कृषि कार्यों व अन्य कृषि विकास कार्यों के लिए आने जाने का एकमात्र समीपस्थ विकल्प मौजूद है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि पर से अपने खाते की भूमि ख0न0 1783 / 584 रकबा 0.38 हे0 पर आने जाने के लिए ख0न0 577 गैरमुमकिन सड़क से ख0न0 579 गैर मुमकिन ड्रेन से होकर लिए 35 फिट चोड़ा नया रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी ने प्रारूप "FORM A [rules] 68 के अर्न्तगत उपरोक्त हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि वाके ग्राम–गैंता, तह०–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज० ख0न0–1783 / 584 रकबा 0.38 हे0 पर आने जाने

के लिए अप्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि मे से 35 फिट चोड़ा नया रास्ता प्रयोग की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें तथा उपरोक्त रास्ता भूमि प्रयोजन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया व तरमीम किया जाने का आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान उचित समझे पारित फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री पृथ्वीराज वैष्णव एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पटवार मण्डल गेंता के राजस्व ग्राम गेंता के अंतिम चौसाला आधार संवत 2075–78 खाता सं0 715 के आराजी ख0नं0 1783/584 (पूर्व) रकबा 0.38है0, किस्म नहरी प्रथम खातेदार प्रहलाद पुत्र भेरूलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकर सा0 देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में आराजी ख0नं0 577 (किस्म गै0मु0सडक रकबा 1.96है0) से आराजी ख0नं0 579 (खाता सं0 1 किस्म गै0मु0 ड्रेन रकबा 1.69है0) से होकर अपने खेत में कृषि कार्य हेतु प्रवेश करता है। प्रार्थी के आराजी ख0नं0 1783/584 वर्तमान में पडत है। प्रार्थी अपने आराजी ख0नं0 1783/584 में प्रवेश लेने हेतु आराजी ख0नं0 579 में से रास्ता चाहता है। वर्तमान में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम गेंता के खाता सं0 1 में आराजी ख0नं0 579 रकबा 1.69है0 किस्म गै0मु0 ड्रेन राज0 सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

चूंकि चाहे गए रास्ता ख0नं0 579 रकबा 1.69है0 की किस्म गै0मु0 ड्रेन है। जो पानी का प्राकृतिक बहाव है एवं प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिसकी किस्म बदली नहीं जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा